पत्र संख्या/फा0न0–46/2022–23/ 558 / 222302) /राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, राज्य कर, उ0प्र0।
(जीएसटी आडिट अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक : जून, 22, 2022

समस्त,
अपर आयुक्त ग्रेड–1,
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/कार्पोरेट),
उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषयः–जीएसटीएन से प्राप्त रू0 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के रिटर्न नॉन फाइलर के रिटर्न फाइल कराये जाने व कृत कार्यवाही विभागीय पोर्टल पर फीड कराये जाने के संबंध में।

विभाग के जीएसटी राजस्व संग्रह में रू0 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के व्यापारियों का अंशदान लगभग 80 प्रति0 से अधिक रहता है। इन व्यापारियों द्वारा रिटर्न न दाखिल करने अथवा विलम्ब से दाखिल करने से विभाग का माह का राजस्व संग्रह प्रभावित होता है। अतः रू0 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के व्यापारियों का रिटर्न ससमय दाखिल कराया जाना राजस्व संग्रह के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है तथा रिटर्न न दाखिल करने वाले ऐसे व्यापारियों के विरूद्ध राजस्व हित में विधिसम्मत कार्यवाही आवश्यक है।

माह की 20 तारीख तक गत माह का रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों की सूची जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। रिटर्न दाखिला के प्रभावी अनुश्रवण एवं नॉन फाइलर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु यह सूची संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों के लॉग–इन पर प्रदर्शित कराये जाने की व्यवस्था विभागीय पोर्टल पर कर दी गयी है, जिसका Path निम्नवत है–

comtax.up.nic.in > Departmental Services > MS/SIB/Court Case Module> Return> Action Against Non-Filler.

निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंभव प्रयास करके अपने अधिक्षेत्र के रू0 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के अधिकाधिक व्यापारियों का रिटर्न निर्धारित देय तिथि (माह की 20 तारीख) तक दाखिल कराया जाए। देय तिथि के उपरान्त भी रिटर्न न दाखिल करने वाले ऐसे व्यापारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही का विवरण उपरोक्त मॉडयूल में प्रत्येक माह की 30 तारीख तक फीड किया जाए। कृत कार्यवाही की रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित कराये जाने की व्यवस्था भी कर दी गयी है, जिसका Path निम्नवत है–

comtax.up.nic.in > Departmental Services > MIS Report> GST MIS (New Format)> Adjudication > Return > Action Against Nonfilers.

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर को निर्देशित किया जाता है कि रू0 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के रिटर्न नॉन फाइलर का खण्डवार/अधिकारीवार/फर्मवार स्वयं नियमित अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुये **कृत कार्यवाही को उपरोक्तानुसार फीड किये जाने का अनुपालन अधीनस्थ अधिकारियों से कराया जाना सुनिश्चित करायें।**

22/6/2022

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।